रक्षा मंत्रालय

(MINISTRY OF DEFENCE)

क. रक्षा विभाग

(A. DEPARTMENT OF DEFENCE)

1. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा नीति और रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सार्थक रूप से सैन्य–वियोजन में सहायक हों।

2. **लोप किया गया।**

3. **लोप किया गया।**

4. सेना, जलसेना और वायुसेना के रिजर्व।

5. **लोप किया गया।**

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।

7. **लोप किया गया।**

8. रिमाउन्ट, पशु-चिकित्सा और फार्म संगठन।

9. कैण्टीन भंडार विभाग (भारत)।

10. सिविलयन सेवाएं जिनके लिए रक्षा प्राक्कलनों से संदाय किया जाता है।

11. जल-राशि सर्वेक्षण और नौ-परिवहन संबंधी चार्ट तैयार करना।

12. छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन/आच्छेदन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वासन का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है)।

13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग। रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली।

14. **लोप किया गया।**

15. रक्षा लेखा विभाग।

16. सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य सामग्रियों का क्रय और उनका व्ययन, उनको छोड़कर जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सौंपे गए हैं।

17. तट रक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

    (क) तेल बिखराव से बचने के लिए सामुद्रिक परिक्षेत्रों की निगरानी;

    (ख) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों में तेल बिखराव की रोकथाम करना, सिवाय पत्तनों के जल, और अपतट खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और सिंगल बॉया मूरिंग (एस.बी.एम.), क्रूड ऑइल टर्मिनल (सी.ओ.टी.) और पाइपलाइनों जैसी संबद्ध सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर के जलक्षेत्र के;

(ग) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय समन्वय अभिकरण;

(घ) तेल बिखराव संबंधी विभीषिका के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; और

(ङ) देश में, तेल बिखराव के निवारण और नियंत्रण, पोतों तथा अपतट प्लेटफार्मों के निरीक्षण का जिम्मा लेना, सिवाय पत्तनों की उन सीमाओं के भीतर, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा सशक्त की गई हैं।

18. देश में गोताखोरी और संबंद्ध क्रियाकलापों से संबंधित मामले।

19. अनन्य रूप से रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत अर्जन।

20. सीमा सड़क विकास बोर्ड और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामले।

21. रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य कोई संगठन, जिसका कार्यक्षेत्र सैन्य मामलों से व्यापक है।